पड़ोसियों के अधिकारों का निर्वाह

डा० सैय्यद ज़फ़र महमूद

ईश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम "निकट के पड़ोसी, दूर के पड़ोसी और अपने साथ रहने वाले साथी (यात्रा में, मोहल्ले में, कार्यस्थल पर आदि)" के साथ भलाई करें (क़ुरआन 4:36)। इस महत्वपूर्ण आयत में हमारे सृष्टिकर्ता ने माता-पिता और रिश्तेदारों के अधिकारों के साथ-साथ पड़ोसियों के अधिकारों का भी उल्लेख किया है। पैग़म्बर मुहम्मद (उन पर शांति हो) ने फ़रमाया, "जो व्यक्ति ईश्वर और आख़िरत के दिन पर विश्वास करता है, उसे चाहिए कि वह अपने पड़ोसी के साथ सदैव अच्छा व्यवहार करे।"

पैग़म्बर (स०) ने यह भी चेतावनी दी कि जो लोग अपने पड़ोसियों को कष्ट पहुँचाते हैं, उनसे ईश्वर विशेष रूप से अप्रसन्न होता है। उन्होंने कहा, "जिब्रील (अलैहिस्सलाम) मुझे पड़ोसी के साथ अच्छे व्यवहार की इतनी बार नसीहत करते रहे कि मुझे लगा शायद ईश्वर पड़ोसी को व्यक्ति की संपत्ति में हिस्सा देने का आदेश दे दें।"

पैग़म्बर (स०) ने यह भी सलाह दी, "कोई व्यक्ति पेट भरकर भोजन न करे जबकि उसका पड़ोसी भूखा हो।" उन्होंने कहा, "यदि कोई व्यक्ति दिन में रोज़ा रखता है और रात में इबादत करता है, लेकिन अपने पड़ोसी को कष्ट पहुँचाता है, तो ऐसा अपराधी जहन्नम में जाएगा। इसके विपरीत, जो व्यक्ति नफ़्ल नमाज़ें नहीं पढ़ता लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, वह जन्नत में जाएगा।"

कभी-कभी पड़ोसी को उपहार भेजना चाहिए और यदि पड़ोसी उपहार दे, तो उसे सम्मान और विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। पैग़म्बर (स०) की पुत्री आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने उनसे पूछा, "मैं अपने किसी पड़ोसी को उपहार देना चाहती हूँ, किसे दूँ?" उन्होंने उत्तर दिया, "जिसका दरवाज़ा तुम्हारे सबसे अधिक निकट हो।"

क़ुरआन में प्रयुक्त शब्द **"अपने पास रहने वाला साथी"** की परिभाषा में वे अस्थायी साथी भी शामिल हैं, जो किसी विशेष स्थान पर थोड़े समय के लिए साथ

होते हैं—जैसे बाज़ार में, किसी सभा में, छात्रावास में, कार्यालयों में, या बस, ट्रेन, जहाज़, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, पार्क आदि में साथ खड़े, बैठे या चलते हुए लोग।

क़ुरआन के व्याख्याकार कहते हैं कि इस प्रकार की अस्थायी संगति भी एक सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति पर कुछ दायित्व डालती है, जिनका तक़ाज़ा यह है कि दूसरे व्यक्ति को कोई कष्ट न पहुँचाया जाए और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। और यदि पड़ोसी रिश्तेदार भी हो, तो व्यक्ति की ज़िम्मेदारी दोहरी हो जाती है; क़ुरआन इसे **"निकट संबंधी पड़ोसी"** के रूप में वर्णित करता है।

एक व्यक्ति पैग़म्बर मुहम्मद (उन पर शांति हो) के पास आया और शिकायत की, "मैं अपने पड़ोसी से सुरक्षित महसूस नहीं करता, उससे किसी भलाई की अपेक्षा करना तो दूर की बात है।" इसके बाद पैग़म्बर ने मस्जिद-ए-हराम (महान मस्जिद) में घोषणा की, "जिस व्यक्ति की बुराइयों से उसके पड़ोसी सुरक्षित न हों, वह सच्चा ईमान वाला नहीं है।"

इसके पश्चात पैग़म्बर (स०) ने फ़रमाया, "हर दिशा में चालीस घर पड़ोस की सीमा में आते हैं।" क़ुरआन और पैग़म्बरी परंपराओं (हदीस) के विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार—यह सुनिश्चित करते हुए कि उसको जीवन की बुनियादी आवश्यकताएँ उपलब्ध हों—में उसके सुख-दुःख में सहभागी होना, उसकी निजता का उल्लंघन न करना, घरों के आस-पास और आने-जाने के साझा रास्तों व प्रवेश द्वारों को साफ़-सुथरा रखना, पड़ोसी की स्थिति खराब होने पर सहायता का हाथ बढ़ाना, माँगे जाने पर क़र्ज़ देना, बीमारी में उसकी ख़ैरियत पूछने जाना, जनाज़े की नमाज़ में शामिल होना, विशेष सहायता प्रदान करना, अपना घर इतना ऊँचा न बनाना कि उससे पड़ोसी के घर की रोशनी और हवा रुक जाए, तथा अपने घर के भोजन की गंध को पड़ोस तक न पहुँचने देना—ये सभी बातें शामिल हैं।

ईमान की सच्ची भावना की यह अपेक्षा है कि जब भी हम किसी क्षेत्र में नए पड़ोसी के रूप में जाएँ, या हमारे क्षेत्र में कोई नया पड़ोसी आए, तो हम सकारात्मक और न्यायपूर्ण सामाजिक एकता तथा समावेशन स्थापित करने के उद्देश्य से स्वयं का और अपने परिवार का परिचय दें।

समाज में सकारात्मक प्रयास के दो व्यापक क्षेत्र हैं—एक रिश्तेदारी और दूसरा पड़ोस। यदि हम जीवन के इन दोनों क्षेत्रों में सक्रिय रूप से अच्छा आचरण करें, तो हममें से प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक आकाश में एक चमकते हुए सितारे की तरह दमक सकता है। तब यदि कोई विक्षिप्त व्यक्ति शांति भंग करने का दुस्साहस करे, तो उच्च नैतिक मूल्यों से समृद्ध समाज संयुक्त रूप से अपनी रक्षा के लिए आगे आएगा।